न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 57/2025

श्री कमाल हुसैन पुत्र नजर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी तालकटोरा, सोहराब खां की हवेली टोंक जिला टोंक राज. --अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> दिनांक 22.07.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

आवेदक द्वारा दिनांक 01.10.2024 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय टोंक को प्रार्थना पत्र Segration के दौरान गलत दर्ज हुए हिस्से भूमि ख.नं. 6537 को सही करवाने बाबत प्रार्थना पत्र डाक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो निम्न सूचना इसमें देवे-

1 आराजी भूमि ख.नं. 6537 में गलत हिस्सा सह खातेदार अफजल हुसैन हिस्सा 5/24 पर तहसीलदार साहब टोंक का दुरूस्ती इन्द्राज का अंकन का आदेश हो चुका है। उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जाए।

2 उक्त आराजी मे शुद्वी पत्र के लिए जयपुर NIC में शिकायत दर्ज करवाई गई है, शिकायत नम्बर एवंम टोंक तहसील द्वारा जयपुर NIC को लिखे गये पत्र की कॉपी व शिकायत नम्बर प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाऐ।

3 आज दिनांक तक उक्त शुद्वी पत्र को टोंक LRC में Technical Issue होने के कारण जमाबन्दी में शुद्वीपत्र ऑनलाईन अंकित नहीं हुआ है इसकी समय सीमा क्या होगी, अग्रिम कार्यवाही से अवगत करवाए।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को पत्र कमांक 1251 दिनांक 8.07.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ने पत्र कमांक 9129 दिनांक 18.07.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि सूचना के संबंध में उनके पत्र कमांक 8114 दिनांक 9.07.2025 व पत्र कमांक 9027 दिनांक 17.07.2025 से नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर वांछित सूचना प्राप्त करने बाबत् अपीलार्थी को रजि. डाक से सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक